पंचायत एवं नगर निकाय
निर्वाचन में
उम्मीदवारों तथा शासकीय कर्मियों
के मार्गदर्शन हेतु

आदर्श आचार संहिता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं नगर निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पाँच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधन द्वारा इन संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा महिलाओं व अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है जो पंचायतों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट तथा 243 य क के अन्तर्गत पंचायतों एवं नगर निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु एक "आचार संहिता" की परम आवश्यकता है, ताकि निर्वाचनों की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे। अतः राज्य की पंचायतों व नगर निकायों के निर्वाचन को पूर्णतः स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह आचार संहिता तैयार की गई है जो इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के अधिकांश प्रावधान भारतीय दंड संहिता,1860 तथा अन्य अधिनियमों में पूर्व से ही निहित हैं। इस संहिता का उल्लंघन करने वालों को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा वहां का निर्वाचन, आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

अतः संविधान के अनुच्छेद 243 ट तथा 243 य क, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धाराओं के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित आदर्श आचार संहिता लागू करता हैः–

1– सामान्य आचार संहिताः–

(1) कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी धर्म(मजहब), सम्प्रदाय, जाति के सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(2) किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों की समालोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य तक ही सीमित रहेगी।

(3) कोई भी उम्मीदवार/कार्यकर्ता प्रकाश से, लिखकर, बोलकर अथवा किसी ऐसे झण्डे, बैनर, प्लेकार्ड आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही करवाएगा जिससे दूसरे उम्मीदवार/कार्यकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।

(4) मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा।

(5) पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा।

(6) सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत ''भ्रष्ट आचरण'' और अपराध माने गये हैं, जैसेः–

(क) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या करवाना,

(ख) मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करना,

(ग) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात् गलत नाम से अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना,

(घ) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(ड.) मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना।

(च) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना तथा उनसे अभद्र व्यवहार करना।

(छ) मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना,

(ज) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करना,

(झ) निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ता एवं समर्थक पूरा सहयोग करेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार की यह नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है।

(ञ) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाएगी जिनका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से कोई सम्बन्ध न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाएंगे जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(ट) कोई भी उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों का पुतले लेकर चलने, उनके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कृत्यों व प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा।

(ड) कोई भी उम्मीदवार निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगा।

2– चुनाव प्रचारः–

(1) किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से किसी व्यक्ति के विचार या क्रियाकलाप में भले ही भिन्नता क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति या व्यक्तियों की राय या कृत्यों का विरोध उनके मकानों के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।

(2) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडियां टांगने, पोस्टर चिपकाने, संदेश या नारे लिखने–लिखवाने जैसे काम उस व्यक्ति की अनुमति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दें।

(3) कोई भी उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झंडे या पोस्टरों को नहीं हटाएगा।

(4) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके या उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न हो। वह न तो अपने समर्थन में निकाले गये जुलूस, उस रास्ते से या स्थान में ले जाएगा और न ही आयोजित करेगा जहां दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है।

3– सभाएं एवं जुलूसः–

(1) यदि कोई दो या दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग या उसके किसी भाग से एक ही समय जुलूस निकालना चाहते हों तो उनके संयोजक पर्याप्त समय पूर्व ही आपस में सम्पर्क स्थापित कर ऐसे मापदण्ड तय कर लेंगे जिससे कि जुलूस आपस में टकरायें नहीं, या यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। शान्ति व्यवस्था एवं सन्तोषजनक प्रबन्ध के लिये स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी।

(2) सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले ही उपयुक्त समय (Well in time) से दे दी जाएगी ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।

(3) किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति ली जाएगी।

(4) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस स्थान पर उनके या उनके समर्थकों का उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहॉ कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन, स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू तो नहीं हैं। यदि ऐसा आदेश लागू हो तो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों में छूट की आवश्यकता हो तो उसके लिए उपयुक्त समय (Well in time) से आवेदन करके छूट की आज्ञा (Exemption) प्राप्त कर ली जाएगी।

(5) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जाएं जहाँ के लिए उन्हें पूर्वानुमति मिली हो और उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

(6) उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं या रैलियों के कारण यातायात में कोई बाधा न पड़े। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा।

(7) उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जुलूसों और सभाओं या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(8) यदि किसी प्रस्तावित सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो उम्मीदवार सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर लेंगे। रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रों/साधनों का प्रयोग नहीं किया जायगा।

(9) मतदान खत्म होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा।

(10) उम्मीदवार और उनकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और विधिक दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि स्वयं ही ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने लगें।

4– मतदान दिवस पर उम्मीदवार से अपेक्षाः–

(1) निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे ताकि सुनिश्चित रूप से मतदान शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता हो कि बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र देंगे।

(3) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी गयी पहचान पर्चियां सादे कागज पर हैं और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं है। पहचान पर्चियों पर मतदाता के नाम, उसके पिता/पति का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा जाएगा।

(4) मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविरों के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे ताकि उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपस में टकराव या तनाव होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार के उक्त शिविर साधारण हों। उस पर कोई पोस्टर, झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। उस पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट अथवा सांकेतिक चुनाव प्रचार न हो और उनमें कोई खाद्य पदार्थ न दिये जायें और न ही वहाँ भीड़ लगाई जाए।

(6) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाई जाने वाली पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे तथा वाहन पास प्राप्त करने के बाद उसे प्रकट रूप से वाहन पर चस्पा करेंगे।

(7) मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग/निर्वाचनअधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

(8) मतदान दिवस पर तथा मतदान प्रारम्भ होने से 48 घंटे पूर्व से शराब पिलाने या बाँटने से स्वयं को रोकेंगे। इतना हीं नहीं, अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी ऐसा करने से रोकेंगे।

5– प्रेक्षकः–

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। यदि किसी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता को निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विशेष (Specific) शिकायत हो तो वे उसे प्रेक्षक की नोटिस में ला सकते हैं।

6– सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण या व्यवहारः–

(1) सत्ताधारी दल या उम्मीदवार किसी भी विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य किसी राजकीय आवास स्थल पर एकाधिकार नहीं करेंगे और न ही उसे चुनाव प्रचार का कार्यालय बनाएंगे या निर्वाचन के प्रचार हेतु कोई सार्वजनिक बैठक करेंगे।

(2) सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को निर्वाचन से सम्बंधित प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।

(3) सरकारी विमानों, सरकारी और अर्द्धसरकारी वाहनों, तंत्र व कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(4) निर्वाचन अवधि में राजकोष की कीमत पर किसी अखबार या मीडिया में कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा और न ही सत्ताधारी दल का कोई समाचार दिया जाएगा।

(5) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद मंत्रीगण या अन्य प्राधिकारी विवेकाधीन कोष से कोई अनुदान न देंगे और न भुगतान करेंगे।

(6) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के बाद सभी मंत्रीगण या प्राधिकारी किसी भी प्रकार के वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे और न वायदा करेंगे; किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट या योजना का शिलान्यास आदि नहीं करेंगे; किसी सड़क के निर्माण या पीने के पानी की सुविधाओं आदि का वायदा नहीं करेगे; सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम आदि में कोई चयन/नियुक्ति की कार्यवाही नहीं

करेंगे; भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र या मतगणना स्थल पर उम्मीदवार या मतदाता या अधिकृत अभिकर्ता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे।

7– शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए:–

(1) निर्वाचन कार्य में लगे या निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए तथा उनके द्वारा ऐसे कोई कार्य नहीं किए जाएंगे जिससे ऐसी आशंका हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध कर रहे हैं।

(2) चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होगा। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दें।

(3) साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव सम्बन्धी सभा माना जाएगा और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाएगा। अतः चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।

(4) उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारी ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होंगे।

(5) यदि कोई मंत्री चुनाव के कार्य के लिए चुनाव क्षेत्र मे जाए तो सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी उनके साथ नहीं जाएंगे।

(6) किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि एक ही दिन में कई उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जाएगी जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया हो।

8– राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक:–

(1) नगरपालिकाओं/नगर निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों, निकायों, जिला पंचायतों के वाहनों का उपयोग मंत्रीगण, सांसद एवं विधानमण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया जाएगा।

(2) मंत्रीगण, पंचायतों एवं नगर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा विवेकाधीन कोष से कोई सहायता या कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाएगा।

(3) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों या संस्थानों द्वारा ऐसे विज्ञापन समाचार पत्रों अथवा अन्य प्रचार माध्यमों से नहीं दिये जाएंगे जो सत्तारूढ़ दल के शासन अथवा विभाग या संस्थाओं के उल्लेखनीय प्रगति, भावी योजना या आश्वासनों को रेखांकित करते हों।

(4) पंचायतों/नगरीय निकायों के निर्वाचन में उनके कोष से कोई धनराशि नहीं निकाली जायगी परन्तु विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली मिड डे मील योजना प्रभावित नहीं होगी।

(5) निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद राजस्व, पुलिस, विकास विभाग तथा निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जायगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया जायगा।